

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-11/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० अल्पना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के विदेश (फिलीपींस एवं सिंगापुर) जाने हेतु दिनांक-16.04.2018 से 21.04.2018 तक कुल-6 (छः) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को विभागीय पत्रांक-177(3) दिनांक-04.04.2018, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-148(25) दिनांक-24.01.2019 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-11/2025- 384 पटना, दिनांक 10/03/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० अल्पना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, शिशु रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।